

# प्रेस नोट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर दिनांक 08.02.2026

## **मार-पीट कर गम्भीर रूप से घायल करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष खोराबार के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं043/26 धारा-191(2), 191(3), 352, 115(2), 117(2), 118(2), 110, 333, 351(3) बीएनएस से संबंधित अभियुक्ता संध्या देवी पत्नी रामकरन यादव निवासी जंगल सिकरी थाना खोराबार जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **घटना का संक्षिप्त विवरण-**

अभियुक्तों द्वारा एकराय होकर वादिनी व वादिनी के परिवार को लाठी-डण्डे व कुल्हाड़ी से मारा पीटा गया जिससे वादिनी व वादिनी के परिवार को गम्भीर चोटें आयी। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-**

संध्या देवी पत्नी रामकरन यादव निवासी जंगल सिकरी थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

### **गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-**

मु0अ0सं0-43/26 धारा-191(2), 191(3), 352, 115(2), 117(2), 118(2), 110, 333, 351(3) बीएनएस थाना खोराबार गोरखपुर

### **गिरफ्तारी की टीम-**

1. उ0नि0 शुभम शर्मा, थाना खोराबार, गोरखपुर
2. म0उ0नि0 श्रुति वर्मा, थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
3. म0उ0नि0 ज्योति तिवारी, थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
4. हे0का0 दुर्गेश कुमार, थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
5. का0 प्रदीप कुमार, थाना खोराबार जनपद गोरखपुर